न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2022-363 Ju2022-225 Satyanarayan ors Vs Sumersingh etc

---

01. सत्यनारायण पुत्र श्री आईदानराम
02. रामलाल पुत्र श्री भींयाराम
03. गोगीदेवी पत्नी महिराम
04. सुखाराम पुत्र शेराराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- रामड़ावास कला, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. सुमेरसिंह पुत्र गोकुलराम
02. कोयली पत्नी गोपाराम
03. महिराम पुत्र गोपाराम
04. श्रवण पुत्र गोपाराम
05. रामनिवास पुत्र गोपाराम
06. शारदा पुत्री गोपाराम
07. बुधकी पुत्री गोपाराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- रामड़ावास कला, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
09. प्रबंधक जोधपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक रामड़ावास कला, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर दिनांक 27 जुलाई 2022 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 57/2022 सुमेरसिंह बनाम गोगीदेवी इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री ओमप्रकाश, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री राजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 से 4 व 7
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 17 फरवरी 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 57/2022 सुमेरसिंह बनाम गोगीदेवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 23 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 59 रकबा 9.6918 हैक्टेयर ग्राम जाटीयावास तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को सुनकर दिनांक 27 जुलाई 2022 को रेस्पो. संख्या एक/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गयी है। विवादित भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि होने के कारण अपीलार्थीगण का मौके पर कब्जा है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या एक किसी तरह की दखलंदाजी का कोई अधिकार नहीं है, इस कारण प्रत्यर्थी संख्या एक अपीलार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड से भूमि अपनी होना साबित किया है तथा मौके पर कब्जा साबित किया है। इस कारण सुविधा का संतुलन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भी अपीलार्थीगण के पक्ष में है। स्थगन आदेश की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या एक अपीलार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित नही किया है तथा न ही तीनों बिंदुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य हैं। अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है, जिसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है तथा अपीलार्थीगण को जवाब का अवसर नहीं दिकया गया है न ही अंतिम निर्णय के समय सुनवाई का मौका दिया गया है। आदेश भी उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिस कारण आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या एक खरीददार है तथा अजनबी क्रेता होने के कारण सहखातेदारी की भूमि में स्वयं का कब्जा नहीं माना जा सकता है। इसलिए जब तक बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक विशेष भू-भाग हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अंत मे अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जुलाई 2022 को अपास्त फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को सुनकर वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 59 रकबा 9.6918 हैक्टेयर ग्राम जाटीयावास तहसील पीपाड़ शहर उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहने तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए अप्रार्थीगण/अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या दो से सात को वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किये जाने, राजस्व रेंकर्ड में परिवर्तन नहीं किये जाने, रहन, बेचान, हस्तांतरण, प्रार्थी के हक-हिस्से तक खातेदारी अधिकारों के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न न करने व प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। विचारण न्यायालय के वादग्रस्त आराजी को रहन न रखने की हद के अलावा शेष आदेश पर अदालत हाजा सहमत है। क्योंकि काश्तकार को कृषि विकास कार्य के लिए अपनी खातेदारी व अपने हक-हिस्से की भूमि को रहन रखने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए रहन रखने की सीमा तक प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वादग्रस्त आराजी को रहन रखने सीमा तक मुक्त किया जाना उचित पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जुलाई 2022 में वादग्रस्त आंराजी खसरा नं. 59 रकबा 9.6918 हैक्टेयर ग्राम जाटीयावास तहसील पीपाड़ शहर को पक्षकारान् द्वारा रहन रखने की छूट प्रदान की जाती है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर